फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी बायतु (बाड़मेर) मुकाम बायतु

रिड़मलराम बनाम बुधराराम वगैरा

किस्म मुकदमा धारा 212 अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 नं 100/20 सन 2020

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्यस जज	नं व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
08.06.2020	प्रार्थी की ओर से वकील श्री किशनाराम द्वारा यह प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया गया जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थी को अन्तरिम आदेश हेतु उनकी एकपक्षीय बहस को न्यायहित में सुना गया। पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकर्ड व दस्तावेजों का गम्भीरता पूर्वक अध्यनन किया गया। प्रार्थी व विप्रार्थी की संयुक्त खातेदारी की भूमि मौजा लापला पटवार मण्डल कोसरिया तहसील बायतु में आई हुई है। प्रार्थी वकील के कथनानुसार प्रार्थी के कब्जे काश्त की भूमि का बैचान करने पर आमदा है और यदि ऐसा हो गया तो वाद बहुलता बढ़ेगी। प्रार्थी की एकपक्षीय बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति एवं प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष का बनना प्रतीत होता है। अतः विप्रार्थीगण को आगामी पेशी तारीख 14/07/2020 तक जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है एवं अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि विवादित आराजी मौजा लापला पटवार मण्डल कोसरिया के खेत खसरा नम्बर 678/367, 679/367 रकबा कमशः 71.05, 48.00 बीघा की भूमि में प्रार्थी के कब्जे व काश्त का किसी प्रकार का बेचान नहीं करे। न ही दखलअन्दाजी करने का प्रयास करें। वर्तमान मौके व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। इसी माफिक विप्रार्थीगण पाबन्द रहे। विप्रार्थीगण को स्थगन नोटिस जारी होकर मिसल वास्ते जवाब दिनांक 14/07/2020 को पेश हों। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
14/07/2020	प्रार्थी वकील उपस्थित / विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया / विप्रार्थी संख्या-1 की ओर से वकील श्री नरपत पुनड़ व विप्रार्थी संख्या-1 व 2 की ओर से वकील श्री शिवाराम सियाग द्वारा वकालातनामा पेश किया गया / शेष विप्रार्थीगण बावजूद तामील अनुपस्थित / अतः विप्रार्थी संख्या-1 व 2 से जवाब हेतु पत्रावली दिनांक 19/08/20 को पेश हो तब तक स्थगन आदेश पूर्व आदेशानुसार यथावत रहेगा / (हस्ताक्षर)	

तारीख हुक्म

19/08/2020

वकुलाय फरीकैन उपस्थित। विपक्षी वकील द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया, फाईनल पेश करना चाहते हैं पूर्व में अवसर दिया गया था, एक और अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 27/10/2020 को पेश हो। तब तक स्थगन आदेश पूर्वादेशानुसार यथावत रहेगा।

सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु

27/10/2020

वकुलाय फरीकैन उपस्थित। विपक्षी वकील द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया, फाईनल पेश करना चाहते हैं अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 03/11/2020 को पेश हो। तब तक स्थगन आदेश पूर्वादेशानुसार यथावत रहेगा।

सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु

03/11/2020

पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी [illegible] में व्यस्त हैं। मिसल इल्तवा होकर दिनांक 10/11/2020 का पेश हो।

10/11/2020

पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी [illegible] में व्यस्त हैं। मिसल इल्तवा होकर दिनांक 17/11/2020 का पेश हो।

17/11/2020

पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी [illegible] में व्यस्त हैं। मिसल इल्तवा होकर दिनांक 20/11/2020 का पेश हो।

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20/11/2020	बुलाया फरीकैन उपस्थित। विपक्षी वकील द्वारा जवाब पेश किया गया जिसकी प्रति प्रार्थी वकील को दी जाकर शामिल पत्रावली किया गया। अतः वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 08/12/2020 को पेश हो। तबतक स्थगन आदेश पूर्व आदेशानुसार यथावत रहेगा। सहायक कलेक्टर (SDO) बायतु	
08/12/2020	बुलाया फरीकैन उपस्थित। श्रीमान पीठासीन अधिकारी चुनाव कार्य में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 03/02/2021 को पेश हो। तबतक स्थगन आदेश पूर्व आदेशानुसार यथावत रहेगा।	
03/02/2021	बुलाया फरीकैन उपस्थित। श्रीमान पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 28/04/2021 को पेश हो।	
28/04/2021	पत्रावली आज पेश हुई। कोविड-2019 के चलते कोर्ट नहीं लिया गया। श्रीमान पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 28/06/2021 को पेश हो।	

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28/06/21	वुकलाय फरीकैन उपस्थित/ माननीय पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त होने से मिसल इन्तजार होकर आगामी दिनांक 04/08/2021 को पेश हो/ [initials]	
04/08/21	वुकलाय फरीकैन उपस्थित/ माननीय पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त होने से मिसल इन्तजार होकर आगामी दिनांक 30/11/2021 को पेश हो/ [initials]	
30/11/2021	वुकलाय फरीकैन उपस्थित/ माननीय पीठासीन अधिकारी प्रशासन गाँवों के संग अभियान - 2021 कैम्पों में व्यस्त होने से मिसल इन्तजार होकर आगामी दिनांक 28/02/22 को पेश हो/ [initials]	
28/02/2022	वुकलाय फरीकैन उपस्थित/ प्रार्थी वकील बहस फाईनल करना चाहते हैं अवसर दिया जाकर आगामी दिनांक 26/04/2022 को पेश हो/ तब तक स्थगन आदेश पूर्व अनुसार यथावत रहेगा/ [signature]	
26/04/2022	वुकलाय फरीकैन उपस्थित/ माननीय पीठासीन अधिकारी [illegible] में पधारे हुए हैं अतः मिसल इन्तजार होकर आगामी दिनांक 23/05/2022 को पेश हो/ [initials]	

रा० आवंटन - 100/2020

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23/05/2022	वकला फरीकैन उपस्थित। उक्त आवेदन से सम्बंधित मूल वाद का निर्णय हो चुका है इसलिए स्थगन आवेदन का कोई औचित्य नहीं रहता है इसलिए उक्त स्थगन आवेदन की पत्रावली को इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी बायतु जिला-बाड़मेर	